Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, General Impact Factor : 2.5442, Volume 08, No. 04, October, 2018, pp. 358-362

fyax vkj yfxdrk dk lkekftd fuek.k% leyfxdrk vijk/k ugh ekuokf/kdkj

अमिता खींची*
डॉ. निधि मेहता**

iLrkouk

जेंडर और सेक्स दो भिन्न अवधारणाएं है। जेंडर शब्द का प्रयोग पुरूषोचित (मैस्क्यूलिन) और स्त्रियोचित (फैमिनिन) की सामाजिक रूप में निर्मित कोटियों के लिए किया जाता है। 'सेक्स' (यौन) एक जैवकीय कोटि है। अन्न आकेले, जिन्हें समाजशास्त्र में 'सेक्स' शब्द को महत्व प्रदान करने का श्रेय प्राप्त है। ओकले के अनुसार, सेक्स का तात्पर्य पुरूषों एवं स्त्रियों का जैविकीय विभाजन से है। जबकि जेंडर का अर्थ स्त्रीत्व एवं पुरूषत्व के रूप में समानान्तर और सामाजिक रूप में असमान विभाजन से है अर्थात् जेंडर की अवधारणा स्त्रियों और पुरूषों के बीच सामाजिक रूप में निर्मित भिन्नता के पहलुओं पर ध्यान आकर्षित करती है किंतु आजकल जेंडर का प्रयोग व्यक्तिगत पहचान और व्यक्तित्व को इंगित करने के लिए ही नहीं किया जाता, अपितु प्रतीकात्मक स्तर पर इसका प्रयोग सांस्कृतिक आदर्शों तथा पुरूषत्व एवं स्त्रीत्व संबंधि रूढ़िबद्ध धारणाओं के लिए और संरचनात्मक अर्थों में संस्थाओं और संगठनों में लैंगिक श्रम–विभाजन के रूप में भी किया जाता है। सामाजिक जीवन के कई क्षेत्रों में लिंग की रचना और अभिव्यक्ति की जाती है। यह सांस्कृतिक विचारधारा और तार्किक धारणाओं तक ही सीमित नहीं है। घर में लैंगिक श्रम–विभाजन से लेकर श्रम–बाजार तक, राज्य की व्यवस्था में, कामवृत्ति भावना में, हिंसा की रचना में और सामाजिक संगठन के कई पक्षों में लैंगिक सम्बन्धों की रचना होती है।

लैंगिक उन्मुखीकरण अन्य व्यक्ति के प्रति एक स्थायी भावनात्मक, रोमांटिक, यौन या स्नेही आकर्षण है। इसे जैविक यौन संबंध, लिंग पहचान सहित लैंगिकता के अन्य पहलुओं से अलग किया जा सकता है। यह स्त्री पुरूष के व्यवहार के लिए सांस्कृतिक मानदंडों का पालन करना है। लैंगिक उन्मुखीकरण यौन व्यवहार से अलग है क्योंकि यह भावनाओं और आत्म–अवधारणा को संदर्भित करता है।

leyfxdrk dk vFk

समान लिंग के व्यक्तियों अर्थात पुरूष का पुरूष के साथ और स्त्री का स्त्री के साथ लैंगिक सम्बन्ध स्थापित करना अथवा उनके प्रति कामुकतावश आकर्षित होने की प्रवृत्ति को समलैंगिकता कहा जाता है। आधुनिक पश्चिमी चलन में, समलैंगिक पुरूष को 'गे' (Gay) और समलैंगिक स्त्री को 'लेस्बियन' (Lesbian) कहा जाता है। इनके अतिरिक्त बाई–सेक्सुअल और ट्रांसजेंडर श्रेणीयां भी होती हैं। सामाजिक जीवन के आधार के रूप में समलैंगिकता की पहचान एक अत्याधुनिक घटना है। इस घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में (1869) में लाने वाले हंगरी के एक डॉक्टर बैंकर्त थे जिन्होंने इसका चिकित्सकीय और वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण किया है।

एंथनी गिडेन्स ने आधुनिकता एवं कामुकता के मध्य सम्बन्धों की व्याख्या की है। गिडेन्स के अनुसार, हमारा आधुनिक संस्थाओं (मास–मीडिया) का जो ज्ञान है, वह एक ऐसी कामुकता की ओर ले जा रहा है, जहां व्यक्ति अपनी स्वयं की पहचान बनाने में जुटा हुआ है। पिछले वर्षों में कामुकता का सबसे बड़ा उद्देश्य संतान

* जूनियर रिसर्च फैलो, समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।
** असिस्टेंट प्रोफेसर एवं सुपरवाइजर, समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

उत्पति करना था। कामुकता की पहचान ही प्रजनन से थी लेकिन अब कामुकता का सम्बंध केवल प्रजनन से ही नहीं रहा है। वर्तमान में कामुकता की यह पहचान कही खो गई है। अब व्यक्ति अपने आप को शारीरिक और व्यक्तित्व स्तर पर ऐसा विकसित करना चाहता है कि उसकी अपनी अलग पहचान बन सके। इसी पहचान को गिडेन्स ''प्लास्टिक कामुकता'' कहते हैं। शरीर का रख–रखाव, सौष्ठव, भरा–पूरा चेहरा, लम्बे–घने बाल, स्लिम शरीर, जीरो–फिगर, यह सब प्लास्टिक कामुकता के अंग है और गिडेन्स ने इसे आधुनिकता की पहचान कहा है। वर्तमान आधुनिक समाज में व्यक्ति समाज को महत्व देने की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत हितों एवं व्यक्तिगत पहचान को अधिक महत्व देने लगे हैं। आधुनिक समाज में युवा पीढ़ी के समक्ष एक संकट दिखाई देता है, वह है ''पहचान का संकट''। सभी युवा सदस्य अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं या ये कहे कि वह दुनिया की भीड़ में अपने आप को एक अलग पहचान के साथ प्रस्तुत करना चाहते हैं। व्यक्ति को अपनी यही पहचान बनाये रखने के लिए तात्विक सुरक्षा (Ontological security) अवश्य मिलनी चाहिए।

मिशेल फोकॉल्ट ने कामुकता के विमर्श अर्थात् कामुकता के संदर्भ में जन–साधारण की जो धारणाएं बनी हुई है, उसकी व्याख्या की है। फोकॉल्ट ने शक्ति, ज्ञान और भोग–विलास के सम्बन्धों की व्याख्या कर, शक्ति और ज्ञान के सम्बन्धों के माध्यम से मानव शरीर के नियंत्रण एवं संगठित होने की व्याख्या की है अर्थात् फोकॉल्ट का मत है कि ज्ञान और शक्ति सामाजिक जीवन पर अपना पूरा प्रभुत्व रखते हैं।

''कमात्मकता का इतिहास'' पुस्तक में सर्वप्रथम ऐतिहासिकता के परिप्रेक्ष्य में कमात्मकता की मानसिकता को कुरेदा है। फोकॉल्ट कहते है कि प्रारम्भ में समाज में कामुकता की चर्चा करना वर्जित था। कामुकता की बात परिवार और वैवाहिक जीवन तक सीमित थी। धर्म और नैतिकता के आधार पर कामुकता के किसी भी विमर्श पर बातचीत करना अच्छा नहीं समझा जाता था। इस प्रकार कामुकता का सम्बन्ध नैतिकता यानी धर्म के साथ है। फोकॉल्ट कहते हैं कि सत्ता और ज्ञान के साथ कमात्मकता का अटूट सम्बन्ध है, उत्तर–आधुनिक समाज में कमात्मकता के बारे में जिनके पास ज्ञान है अर्थात आधुनिक चिकित्सा पद्धति एवं ऐसे कई संगठन है जो कामुकता से जुड़ी हुई समस्याओं पर परामर्श देते हैं। इस प्रकार ये कमात्मकता के नियंत्रण में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। साथ ही सत्ताधारी भी अपने नियमों के द्वारा यौन व्यवहार पर नियंत्रण (जनसंख्या नियंत्रण, विवाह की आयु का निर्धारण, बच्चों की संख्या का निर्धारण आदि) करते हैं। कमात्मकता की सांस्कृतिक सन्दर्भ में व्याख्या करते हुए फोकॉल्ट कहते हैं कि सरकारों ने लैंगिक व्यवहार के कुछ रूपों को स्वीकार और कुछ को निषेधित किया है। फोकॉल्ट ने कमात्कता के विश्लेषण के आधार पर सुख–आनन्द के दो चेहरे बताते हुए लम्पट अथवा स्वच्छंद व्यवहार के स्थान पर नियमबद्ध और आत्मानुशासन द्वारा प्राप्त सुख–आनन्द को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार किया है। वर्तमान में यौन–व्यवहार के बारे में खुलकर चर्चा की जाती है एवं आवश्यकता पड़ने पर यौन शिक्षा भी दी जाने लगी है।

सिग्मंड फ्रायड के अनुसार कामवृतियाँ (Sex Instincts), फ्रायड ने इसे लिबिडो कहा है, मानव के समस्त व्यवहार को संचालित करने वाली होती है। फ्रायड ने कामवृतियों के आधार पर बताया कि आडिपस काम्प्लेक्स व इलेक्ट्रा काम्प्लेक्स के रूप में माता–पुत्र और पिता–पुत्री के बीच यौन आकर्षण पाया जाता है। माता–पिता के सम्बन्धों पर बच्चों को ईर्ष्या होना व उन सम्बन्धों में अपनी कल्पना, उनका यौन–भेद का समाजीकरण है। समलैंगिकता को एक विकृत रूग्णता के रूप में चित्रित किया गया है, किन्तु फ्रायछ ने इसे बीमारी नहीं माना है।

D;j ¼**Queer**½ fl)kr

क्यूर सिद्धांत साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन के लिए एक दृष्टिकोण है जो लिंग और कामुकता की पारंपरिक श्रेणियों को अस्वीकार करता है। क्यूर सिद्धांत की शुरूआत 1980 के अंत में यौन मानकीकरण की आलोचना के रूप में हुई। लैंगिकता और लिंग के कुछ रूपों को सामाजिक स्वीकृत प्राप्त होती है जबकि कुछ वर्जित होते हैं। क्यूर सिद्धांत से सम्बन्धित दो दृष्टिकोण है जिसमें प्रथम दृष्टिकोण यह है कि क्यूर सिद्धांत,

विरोधी–पहचानवाद के विचार के साथ जुड़ा हुआ है अर्थात् ''लेस्बियन'', ''गे'' और ''उभयलिंगी'' जैसी पहचान की श्रेणियां अस्वीकार्य और अवधारणात्मक रूप से उनकी व्याख्या करना अस्पष्ट है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि क्यूर सिद्धांत गैर–मानक यौन और लिंग पहचान में रहने वाले लोगों की सैद्धांतिक रूप से अन्वेषण का उल्लेख कर सकता है।

leySfxdrk dh ,frgkfld i"BHkfe

समलैंगिकता की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितनी मानव सभ्यता। समलैंगिकता के सामाजिक निहितार्थों का वर्णन हम प्राचीन समय से ही देख सकते हैं। कानूनी व्याख्याओं से इतर समलैंगिकता आदिकाल से हमारे बीच एक सामाजिक समस्या के रूप में विद्यमान रही है। हमारे समाज में समलैंगिक यौन सम्बन्धों को कभी भी खुले तौर पर सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया लेकिन अनेक प्राचीन ग्रन्थों में समलैंगिकता का उल्लेख मिलता है। वात्स्यायन रचित प्राचीन ग्रन्थ 'कामसुत्र' में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। प्रसिद्ध ग्रन्थ 'मनुस्मृति' में समलैंगिकता को दण्डनीय माना गया है। 'नारद स्मृति' नामक प्राचीन भारतीय ग्रन्थ में समलैंगिक पुरूषों के विवाह को वर्जित ठहराकर इस यौन प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया गया है। रोमन साम्राज्य में राजा नीरो के भी अपने एक दास के साथ समलैंगिक सम्बंध थे।

leySfxdrk dk oSf'od ifjn`';

विश्व के 77 देशों ने समलैंगिक सम्बन्धों को अप्राकृतिक मानते हुए इन्हें अपराध की श्रेणी में शामिल कर रखा है। यहां तक कि ईरान, सऊदी अरब, सूडान, नाइजीरिया जैसे देशों में समलैंगिक सम्बन्धों के लिए मौत की सजा तक का प्रावधान है। यद्यपि विश्व के 114 देश समलैंगिकता को अपराध नहीं मानते हैं। सम–लैंगिक सम्बन्धों को सर्वप्रथम 1811 ई. में नीहदरलैंड द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। नीदरलैंड ने 2001 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देकर एक नई पहल की। 1972 में ट्रांसजेंडर्स को सेक्स परिवर्तन करने की अनुमति देने वाला स्वीडन पहला देश था। वर्तमान में 24 देशों में समलैंगिक जोड़ो को मान्यता मिली हुई है। जिनमें नीदरलैंड, बेल्जियम, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्पेन, अर्जेंटीना, कनाडा एवं अमेरिका के कुछ राज्य शामिल है। अब भारत भी समलैंगिक संबंधों को वैधानिक दर्जा देने वाला 25वां देश बन गया है।

नाज फाउंडेशन की संस्थापिता अंजलि गोपालन, एलजीबीटी (Lesbian, Gay, Bi-sexual and Transgender) समुदाय एवं मानवाधिकारवादी कई गैर–सरकारी संगठन समलैंगिकों के अधिकारों के लिए आंदोलनरत रहे हैं। इन्होंने ''पिंक पेजेज'' नामक एक ऑनलाइन मैंगज़ीन प्रारंभ की है। विश्व के सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो ''द ओपेरा विन्फ्रे शो'' में 24 अक्टूबर, 2007 को यह खुलासा किया गया कि गुजरात की राजपीपला रियासत के राजकुमार मानवेन्द्र सिंह गोहिल ने 2005 में खुलेआम स्वयं को समलैंगिक घोषित किया था। बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली ने भी समलैंगिकता का समर्थन करते हुए 16 अप्रैल, 2009 को ''बॉम्बे दोस्त'' नामक गे–मैगज़ीन का उद्घाटन किया था। भारत में समलैंगिक संबंधों को लेकर बॉलीवुड में कई फिल्मों का निर्माण किया गया है जैसे – फायर, फैशन, माई ब्रोदर निखिल, गर्लफ्रेंड, दोस्ताना आदि फिल्में समलैंगिक दुनिया के विभिन्न पहुओं को अभिव्यक्त करती है। वर्तमान में कलरर्स चैनल पर प्रसारित होने वाले डेली सोप शक्ति–अस्तित्व के अहसास की में, समाज में किन्नरों के अस्तित्व की वास्तविकता को दर्शाया जा रहा हैं। इस शो का उद्देश्य समाज के एक हिस्से के रूप में तीसरे लिंग (Third Gender) को स्वीकार करना हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से कुछ समाजवैज्ञानिक समलैंगिकता को एक जैविकीय प्रवृति का परिणाम मानते हैं तो कुछ इसे मनोवैज्ञानिक प्रवृति मानते हैं। अपराधशास्त्र के जनक सिसरे लोम्ब्रोसो के अनुसार अपराधी जन्मजात होते हैं। इसी प्रकार अगर समलैंगिक आकर्षण की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, तो यह एक मानवाधिकार से जुड़ा प्रश्न है लेकिन अगर समलैंगिकता एक सीखा हुआ व्यवहार है, जैसा कि अपराध के मामलों में सदरलैण्ड मानते हैं, तो इससे एक बीमारी की भांति निबटा जा सकता है। समलैंगिकों का इलाज करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में

लाया जा सकता है। योग गुरू बाबा रामदेव कहते हैं कि समलैंगकता एक मानसिक विकार है तथा उनके आश्रम में इसका इलाज किया जा रहा है।

Hkkjr e ,ythchVh ¼Lesbian, Gay, Bi-sexual and Transgender½ d vf/kdkjk d fy, l?k"kjr lxBu

समलैंगिक लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए एलजीबीटी नामक समुदाय विश्व स्तर पर एक स्वेच्छिक संगठन के रूप में सक्रिय रहा है। एलजीबीटी लोगों को अनेक कानूनी और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समलैंगिक व्यक्तियों को अधिकार प्रदान कर इन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। एक ही लिंग के लोगों के बीच यौन गतिविधि अवैध है और समान सेक्स जोड़े कानूनी रूप से शादी नहीं कर सकते थे।

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1861 से लागू) की धारा 377 में समलैंगिक संबंधों को आपराधिक कृत्य की श्रेणी में रखा गया था जिसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान था। धारा 377 के अनुसार प्रकृति विरूद्ध अपराध – ''जो कोई स्वेच्छया इंद्रियभोग (कारनल इंटरकोर्स) करेगा, वह आजीवन कारावास या 10 वर्षों तक के कारावास एवं जुर्माने से दंडनीय होगा।'' दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 जुलाई, 2009 में भारतीय दंड संहिता की धरा 377 को असंवैधानिक ठहराया था। 11 दिसम्बर, 2013 को जस्टिस जी.एस. सिंघवी एवं जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने 2 जुलाई, 2009 को दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को अमान्य कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे सम्बन्ध संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 21 का उल्लंघन करते हैं क्योंकि ये अनुच्छेद व्यक्ति को स्वतंत्रता एवं सम्मान से जीने का अधिकार देते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उत्कल क्रिश्चियन काउन्सिल, अपास्टलिक चर्चेज अलायंस आदि सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों और भाजपा के नेता बी.पी. सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 28 जनवरी, 2014 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक सम्बन्धों को अपराध घोषित करने के फैसले पर पुनः विचार याचिका को खारिज कर दिया था। मानवाधिकारवादी दृष्टिकोण से देखे तो समलैंगिकता पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय विकासशील एवं समावेशी समाज के साथ अन्याय प्रतीत होता है क्योंकि यह व्यक्तिगत आजादी के साथ–साथ संविधान के उदार–मूल्यों और आज के दौर की आधुनिक भावना के साथ जुड़ा हुआ है। माननीय न्यायालय लिव इन रिलेशन्स की प्रवृत्तियों को भी मान्यता दे चुके हैं। केन्द्र सरकार, नाज फाउंडेशन, गैर–सरकारी संगठन समेत कई संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनः विचार की अपील की थी जिसमे परिणामस्वरूप जनवरी, 2018 में सर्वोच्च न्यायालय समलैंगिक संबंधों को वैध घोषित करने वाली याचिका पर पुनः विचार करने के लिए तैयार हुआ। फिर 6 सितम्बर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस आर.एफ. नरीमन, जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की संविधान पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के प्रावधानों को रद्द करते हुए कहा कि दो बालिगों के बीच निजी तौर पर बनाए गए समलैंगिक संबंध अपराध नहीं हैं। संविधान पीठ ने 158 साल पुरानी आईपीसी की धारा 377 को अतार्किक व मनमाना करार देते हुए निजी पंसद को सम्मान देने की बात कही। अदालत ने कहा, आइपीसी की धारा 377 'गरिमा के साथ जीने के अधिकार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने रूढ़ हो चुकी सामाजिक व नैतिकता के खिलाफ जाकर समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में बाहर निकाल गतिशील एवं बहुशिक्षित समाज के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं –

- पहला, यह कि देश बहुसंख्य धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों से नहीं संविधान से संचालित होगा।
- दूसरा, नैतिकता के आधार पर समाज के किसी भी वर्ग के मौलिक अधिकारों का हनन् नहीं किया जा सकता।
- तीसरा, व्यक्ति जन्मजात जैसा है अर्थात् प्रकृति ने जिसे जैसा बनाया है उसे वैसा ही स्वीकार करने की सहनशीलता समाज में होनी चाहिए।

,y thchVh lDl ¼;kSu½ f'k{kk

एलजीबीटी सेक्स शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम को संदर्भित करती है, जो एलजीबीटी व्यक्तियों की यौन शिक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करती है और समलैंगिकता से सम्बंधित विषयों को समाविष्ट करती है। इस बारे में असहमति है कि एलजीबीटी यौन शिक्षा को सामान्य यौन शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल की जानी चाहिए या नहीं। एलजीबीटी सेक्स शिक्षा के समर्थकों का कहना है कि यौन शिक्षा कार्यक्रमों में एलजीबीटी के मुद्दों को शामिल करने से इन लोगों के स्वास्थ्य में सुधार और इनकी समस्याओं को समझने और समाधान करने में सहायता मिलेगी।

fu"d"kZ

सबसे पहले तो यह समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को वैधता प्रदान नहीं की है सिर्फ इसे डी–क्रिमिनलाइज (अपराध की मानना) किया हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने भारत में एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों को संरक्षित किया हैं। इस फैसले से अब ऐसे लोगों को अपनी पहचान बताने में हिचकिचाहट नहीं होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि एलजीबीटी समुदाय को परिवार एवं समाज द्वारा भी आसानी से स्वीकार कर लिया जायेगा या नहीं? जैसे – दहेज के खिलाफ भी कानूनी प्रावधान है, लेकिन दहेज का लेन–देन आज भी जारी हैं। अन्तरधार्मिक विवाह को भी कानूनी मान्यता है, लेकिन समाज उसे आसानी से स्वीकार नहीं करता। एलजीबीटी समुदाय के प्रति समाज में व्याप्त पूर्वाग्रहों, हीनभावना को समाप्त करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सार्वजनिक रूप से प्रचार–प्रसार किया जाए ताकि इस समुदाय के लोगों से जुड़ी कलंक एवं सामाजिक बहिष्कार की भावना को समाप्त किया जा सके एवं मानव होने के नाते सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। एलजीबीटी समुदाय के प्रति समाज में जो मानसिकताएं हैं, क्या उनमें परिवर्तन होगा? अब जो बदलाव होना है वह सरकार एवं समाज के स्तर पर होगा। एलजीबीटी समुदाय की कानूनी मान्यता का निर्णय समाज एवं संस्कृति को क्या प्रभावित करेगा एवं इससे समाज और संस्कृति में क्या परिवर्तन होगें?

समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का समर्थन नहीं करते हैं। समलैंगिक विवाह और सम्बन्ध प्रकृति से सुसंगत एवं नैसर्गिक नहीं है इसलिए इनका मानना है कि समलैंगिक संबंध समाज एवं सामाजिक जीवन का नैतिक विघटन हैं, स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए लेकिन भारतीय समाज में समाज व्यवस्था भी उतनी महत्वपूर्ण है, जितना कानून। व्यक्ति को स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता किस स्तर तक मिलनी चाहिए जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहे एवं सांस्कृतिक विलम्बना भी उत्पन्न न हो? समलैंगिकता के नैतिक एवं धार्मिक पक्ष को देखते हैं तो यह हमारी संस्कृति एवं संस्कारों पर कुठाराघात लगता है। समलैंगिक प्रवृतियां विवाह, परिवार एवं नातेदारी जैसी सामाजिक संस्थाओं को चुनौती देती नजर आ रही हैं। मानव जीवन में हिन्दू परिप्रेक्ष्य के अनुसार चार पुरूषार्थों के रूप में चार लक्ष्य बताये गए हैं – धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनकी प्राप्ति के लिए समाज–सम्मत एवं स्वीकृत साधनों के उपयोग की बात की गई हैं। व्यक्ति को किस स्तर तक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए जिससे कि समाज, संस्कृति एवं सामाजिक संस्थाओं का विघटन नहीं हो? समलैंगिकता का विषय अत्यंत संवेदनशील एवं गम्भीर है इसलिए इस पर गम्भीर रूप से सामाजिक–सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक, वैधानिक एवं राजनीतिक चर्चा एवं विमर्श की आवश्यकता है।

♦❑♦